प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0 / मा0स्वा0 / एफआरयू / ऑनकॉल / 84डी–2 / 2017–18 / 5258-75 दिनांक 25.08.2017

विषय– राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश में वर्ष 2017–18 में प्रथम सन्दर्भन इकाइयों के संचालन हेतु निजी एवं राजकीय सेवा / संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों के ऑन कॉल सुविधा से सम्बन्धित दिशा–निर्देश।

महोदय / महोदया,

भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 वर्ष 2017–18 में प्रदेश के जनपदों की चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर नियमित / संविदा / EMOC या LSAS प्रशिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में ऑनकॉल विशेषज्ञों की व्यवस्था अनुमन्य की गयी है। ध्यान रहे कि यह सम्पूर्ण व्यवस्था जनपदों एफ0आर0यू0 को क्रियाशील किये जाने के लिये ही स्वीकृत की गयी है। यह व्यवस्था राजकीय सेवा एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत निश्चेतक या स्त्री रोग विशेषज्ञ / शल्यक दोनों को ही अनुमन्य है।

1. **जनपद की जिन एफ0आर0यू0 इकाइयों के लिये यह ऑन कॉल सुविधा** उपलब्ध कराई जा सकेगी –
   - किसी भी स्थिति में चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाई पर पूर्ण कालिक नियमित अथवा संविदा विशेषज्ञ तैनात / उपलब्ध होने पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी, परन्तु EMOC या LSAS प्रशिक्षित चिकित्सक यदि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम न हों तो जिला स्वास्थ्य समिति को अवगत कराकर उस इकाई के लिये भी कॉल व्यवस्था अनुमन्य करा ली जाये जिससे EMOC / LSAS के कौशल का विकास हो सके। ऐसे चिकित्सकों को जिला महिला चिकित्सालय आदि क्रियाशील इकाइयों पर संबद्ध कर भी उनके कौशल का विकास किया जाये।
   - जिला चिकित्सालयों पर सीजेरियन प्रसव का भार अत्यधिक होने के कारण ऑन कॉल व्यवस्था से कार्य कराना सम्भव नहीं है अतः जनपद में प्राथमिकता पर जिला महिला चिकित्सालय पर नियमित विशेषज्ञों अथवा पूर्ण कालिक संविदा विशेषज्ञों की व्यवस्था पूर्ण की जाये। जिला चिकित्सालयों पर कोई भी निश्चेतक या स्त्री रोग विशेषज्ञ न होने की दशा में ग्रामीण क्षेत्रों से विशेषज्ञों को जनपद स्तरीय इकाई पर तैनात / संबद्ध कर लिया जाये।
   - जहाँ एक मात्र विशेषज्ञ के आकस्मिक अवकाश अथवा लम्बी छुट्टी (उपार्जित / मातृत्व / शिशु देखभाल / चिकित्सकीय अवकाश) पर जाने के कारण ई0एम0ओ0सी0 टीम अधूरी हो गई है अथवा विशेषज्ञ बिना सूचना के गैर हाजिर हों उनकी सूचना शासन को प्रेषित करने के पश्चात् वहाँ पर ऑन कॉल सेवायें ली जा सकती हैं।
   - जहाँ सीजेरियन ऑपरेशन का भार 100 केस प्रति माह से अधिक है एवं इकाई पर मात्र 1 निश्चेतक या शल्यक / गायनेकॉलजिस्ट तैनात है तो वहाँ पर भी आनॅ कॉल व्यवस्था रिलीविंग में प्रयोग की जा सकती है।
   - इन कॉल्स का उपयोग आपातकालीन एवं एस0बी0आर0टी0 द्वारा नियोजित (Elective) सिजेरियन प्रसव के लिए दोनों परिस्थितियों में किया जा सकता है।

2. **राजकीय क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–** राजकीय सेवा में कार्यरत विशेषज्ञों को निम्नानुसार बिन्दु–1 पर उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन कॉल पर कार्य करना अनुमन्य है–
   - जनपद / मण्डल स्तर पर प्रशासनिक पदों (अपर निदेशक, मुख्य चिकित्साधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, डी0एल0ओ0, डी0टी0ओ0, संयुक्त निदेशक आदि) पर तैनात विशेषज्ञों को ग्रामीण एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0 / एस0डी0एच0 में सीजेरियन ऑपरेशन की कॉल अनुमन्य होगी। यह विशेषज्ञ जिला स्तरीय व ग्रामीण किसी भी एफ0आर0यू0 पर बिन्दु–1 पर उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन कॉल कर सकेंगे।

- जनपद में सभी एफ0आर0यू0 एवं नॉन एफ0आर0यू0 इकाइयों पर तैनात नियमित सेवा के निश्चेतक या शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट की सूची बना ली जाये। मुख्य चिकित्साधिकारी इनको एफ0आर0यू0 पर ही समायोजित कर एफ0आर0यू0 क्रियाशील करायें। जो विशेषज्ञ दूसरी इकाइयों पर कॉल अटेंण्ड करने की सहमति दें उनका पैनल बनाकर जिला स्वास्थ्य समिति में ऑन कॉल विशेषज्ञ के रूप में अधिकृत करा लिया जाये।
- जिला स्तरीय चिकित्सालयों में प्रशासनिक पद पर तैनात एस0आई0सी0/सी0एम0एस0/एम0एस0 आदि को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी किन्तु वहाँ शल्यक/स्त्री रोग विशेषज्ञ अथवा निश्चेतक को किसी दूसरी इकाई के लिये यह सुविधा देय होगी, किन्तु इसके लिये उन्हें इसकी अनुमति इकाई के प्रभारी अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी से प्राप्त करनी होगी। **कॉल अनुमन्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि वे अपने तैनाती स्थल पर भी सीजेरियन प्रसव कर रहे हों।**
- ग्रामीण एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0/एस0डी0एच0 पर तैनात विशेषज्ञ को कॉल हेतु जनपद स्तर पर उन्हीं विशेष परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है जब जनपद स्तर से मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, मुख्य चिकित्साधिकारी को कोई विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की लिखित सूचना दे और कॉल हेतु जाने वाले **विशेषज्ञ को ऑन कॉल विशेषज्ञों की सूची में अधिकृत किया गया हो।**
- ग्रामीण क्षेत्र में तैनात विशेषज्ञ को किसी अन्य ग्रामीण एफ0आर0यू0 सी0एच0सी0/एस0डी0एच0 पर कॉल अनुमन्य है। कॉल अनुमन्य करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाना होगा कि **वे अपने तैनाती स्थल पर भी सीजेरियन प्रसव कर रहे हों।**

3. <u>**निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–**</u> जनपद स्तर पर चिन्हित एफ0आर0यू0 इकाईयों पर नियमित अथवा पूर्णकालिक संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता न होने पर निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट/शल्यक) को सीजेरियन प्रसव हेतु कॉल करने की व्यवस्था निम्नानुसार दी गयी है।
   - इस कार्य के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रचार–प्रसार के माध्यम से अपने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कॉल पर कार्य करने के इच्छुक विशेषज्ञों से सहमति पत्र प्राप्त किया जाय, तद्पश्चात उनकी सूची को इम्पैनल कर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित करवा लिया जाय। इस पैनल में चयनित विशेषज्ञों को एफ0आर0यू0 इकाईयों में से एक या एक से अधिक इकाई चयन करने का अवसर दिया जा सकता है। यह सूची जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने के पश्चात सभी सम्बन्धित इकाईयों पर इन विशेषज्ञों को ऑन कॉल के आधार पर बुलाने हेतु प्रदर्शित भी करा दी जाय।
   - ऑनकॉल विशेषज्ञों की सेवायें प्राप्त करने के पश्चात् प्रति कॉल एवं प्रति सीजेरियन की दर से भुगतान किया जाये।
   - जनपद में पूर्ण कालिक नियमित अथवा संविदा स्त्री रोग विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में शल्य चिकित्सक (एम0एस0 जनरल सर्जरी) को, जो जटिल प्रसव एवं सीजेरियन प्रसव में कुशल हो, सूचीबद्ध कर सेवाएं भी ली जा सकती हैं। यदि किसी इकाई पर ऑन कॉल विशेषज्ञ एक से अधिक सिजेरियन प्रसव कराता है तो उसे प्रति सिजेरियन धनराशि देय होगी परन्तु उन्हें टी0ए0 एक ही देय होगा।
   - किसी स्थिति में यह सुविधा चिन्हित एफ0आर0यू0 की सूची से बाहर की इकाइयों में अनुमन्य नहीं होगी।
   - वर्तमान में यह सुविधा एक राजकीय सेवा/संविदा विशेषज्ञ(निश्चेतक अथवा शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट) होने पर ही दी जा रही थी, परन्तु वित्तीय वर्ष 2017–18 में यह सेवा उन एफ0आर0यू0 को क्रियाशील करने के लिये भी दी जानी है जिन पर कोई निश्चेतक अथवा शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट कार्यरत नहीं है। यह विशेष व्यवस्था इस लिये दी जा रही है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017–18 में शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट को दो अतिरिक्त फॉलोअप भ्रमण के लिये रू0–1000.00/–प्रति भ्रमण दिया जा रहा है।

4. **वित्तीय व्यवस्था–**

1. **निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–** जनपद स्तर पर चिन्हित 291 एफ0आर0यू0 इकाईयों पर नियमित अथवा पूर्णकालिक संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता न होने पर निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ (निश्चेतक या शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट) को सीजेरियन प्रसव हेतु कॉल करने की व्यवस्था दी गयी है।
   - ➢ जनपद स्तर की इकाइयों पर शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट को रू0–4000.00 प्रति सीजेरियन एवं दो फॉलोअप भ्रमण के लिये रू0–1000.00/ भ्रमण दिया जाना है। इस प्रकार कुल रू0 6000.00 प्रति सीजेरियन शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट को दिया जाना है। निश्चेतक को रू0–2500.00 प्रति सीजेरियन देय है। जनपद की ग्रामीण इकाईयों पर उपर्युक्त के साथ साथ रू0–1000.00 यात्रा भत्ता भी देय होगा।
   - ➢ इन कॉल्स का उपयोग केवल सिजेरियन प्रसव के लिए ही किया जायेगा।
   - ➢ विशेष परिस्थितियों–विशेषज्ञ रहित एफ0आर0यू0 (विशेषज्ञ की नियुक्ति नहीं हुयी है, विशेषज्ञ छुट्टी पर है।) में ऑन कॉल पर निश्चेतक एवं शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट दोनों विशेषज्ञों को बुलाकर सिजेरियन की व्यवस्था की जा सकती है, परन्तु सम्बन्धित एफ0आर0यू0 पर 24 घंटे एक एम0बी0बी0एस0 चिकित्सक की व्यवस्था अनिवार्य है।
2. **राजकीय क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को ऑन कॉल पर बुलाने की व्यवस्था–** राजकीय क्षेत्र में कार्यरत शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट एवं निश्चेतक जो प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं उन्हें चिन्हित एफ0आर0यू0 पर सीजेरियन प्रसव के लिये कॉल किये जाने का प्राविधान है।
   - ➢ जनपद स्तर पर चिन्हित 291 एफ0आर0यू0 इकाईयों पर नियमित अथवा पूर्णकालिक संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता न होने पर राजकीय क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ (निश्चेतक या शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट) को सीजेरियन प्रसव हेतु कॉल करने की व्यवस्था दी गयी है।
   - ➢ जनपद स्तर की इकाइयों पर शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट अथवा निश्चेतक को रू0–2500.00 प्रति सीजेरियन देय है। जनपद की ग्रामीण इकाईयों पर उपर्युक्त के साथ साथ रू0–1000.00 यात्रा भत्ता भी देय होगा।
   - ➢ उसी एफ0आर0यू0 पर तैनात एस0आई0सी0/सी0एम0एस0/एम0एस0/शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट अथवा निश्चेतक आदि को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी किन्तु उन्हें किसी अन्य एफ0आर0यू0 पर सिजेरियन कराने के लिये जाने पर यह सुविधा देय होगी बशर्ते वह अपनी तैनाती स्थल पर भी सिजेरियन कर रहे हो।

इस प्रकार भारत सरकार द्वारा निम्नानुसार स्वीकृतियां दी गयी हैं–

1. राजकीय क्षेत्र में कार्यरत शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट विशेषज्ञों को बुलाने के लिये औसतन रू0–3000.00 (50 प्रतिशत में यात्रा भत्ता की आवश्यकता के दृष्टिगत) की दर से 8000 कॉल हेतु **एफ0एम0आर0 कोड–बी.30.19.2 में रू0–240.00 लाख** अनुमन्य किये गये हैं।
2. निजी क्षेत्र में कार्यरत शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट विशेषज्ञों को बुलाने के लिये औसतन रू0–6500.00 (50 प्रतिशत में यात्रा भत्ता की आवश्यकता के दृष्टिगत) की दर से 4000 कॉल हेतु **एफ0एम0आर0 कोड–बी.30.19.3** रू0–260.00 लाख अनुमन्य किये गये हैं।
3. निजी क्षेत्र में कार्यरत निश्चेतक विशेषज्ञों को बुलाने के लिये औसतन रू0–3000.00 (50 प्रतिशत में यात्रा भत्ता की आवश्यकता के दृष्टिगत) की दर से 5000 कॉल हेतु एफ0एम0आर0 कोड–**बी.30.19.4** रू0–150.00 लाख अनुमन्य किये गये हैं।

इस प्रकार प्रदेश के एफ0आर0यू0 पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था हेतु **उपर्युक्तानुसार कुल स्वीकृत धनराशि रू0–650.00 लाख** की 50 प्रतिशत धनराशि संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार जनपदों को अवमुक्त की जा रही है।

5. <u>अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग</u>–

- जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के कियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिये जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाये।
- प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वे अपने जनपद की सभी प्रस्तावित एफ0आर0यू0 को क्रियाशील किये जाने के लिये स्वीकृत "**<u>विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था</u>**" की योजना की जानकारी इकाई प्रभारियों तक अवश्य पहुँचा दें।
- किसी भी दशा में ऑन कॉल विशेषज्ञों की व्यवस्था प्रोत्साहन धनराशि उन एफ0आर0यू0 पर देय नहीं होगी जहाँ नियमित अथवा संविदा विशेषज्ञ अथवा ई0एम0ओ0सी0/एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण प्राप्त कुशल चिकित्सक उपलब्ध हैं।
- जिन एफ0आर0यू0 पर एक विशेषज्ञ निश्चेतक या शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट तैनात है परन्तु सभी प्रयास के उपरान्त भी 05 सिजेरियन प्रतिमाह भी नहीं किये जा रहें है, उचित होगा कि विशेषज्ञ को राज्य स्तर को सूचित करने के उपरान्त किसी अन्य ऐसी एफ0आर0यू0 पर तैनाती की जा सकती है जिससे वह एफ0आर0यू0 संचालित/सुदृढ़ हो सके।
- प्रोत्साहन धनराशि मासिक आधार पर वितरित की जाये एवं इस प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान एफ0आर0यू0 के प्रभारी द्वारा सूचित प्रदर्शन/उपलब्धियों का सत्यापन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नामित पर्यवेक्षक अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से करने के पश्चात ही किया जाये।
- प्रत्येक माह जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी अपने जिले की इस प्रोत्साहन धनराशि के आबंटन की मासिक सूचना संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र (संलग्नक–2) पर अध्यक्ष जिला कार्यकारी समिति को अवलोकित करायेंगे एवं नियमित रूप से राज्य स्तर पर महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें एवं एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करेंगे। यह रिपोर्ट ई–मेल <u>gmmhup@gmail.com</u> पर प्रेषित की जाये।
- किसी भी विशेषज्ञ को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा एवं पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से आधार लिंक खाते में ही किया जायेगा।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आवंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाये।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाये।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

<u>संलग्नक–यथोक्त।</u>

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक–एस0पी0एम0यू0/मा0स्वा0/एफआरयू/ऑनकॉल/84डी–2/2017–18/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0।

5 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।

6 समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक एवं जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0एच0एम0,उ0प्र0।

7 महाप्रबन्धक एम0आई0एम, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0,उ0प्र0 को इस आशय प्रेषित कि दिशा–निर्देशों को एन0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

8 गार्ड फाइल।

(डा0 स्वप्ना दास)
महाप्रबन्धक मातृ स्वा0

Performance based incentive for Operationalization of FRUs- Reporting for the month

Sl.No.	Division	District	Name of the Facility	Type of the Facility (DWH, DCH ,CHC-FRU)	Availability of Specialists Regular or contractual (No.)			Availability of Specialists Regular or contractual (No.)		No. of C-sections at FRUs done by On call specialists	On call for Govt		On call for Pvt.	
					Gynae	Surg	Anaesth	EMOC	LSAS		Total incentive paid to On call Gyn/Surg from Govt. Sector @ Rs.2500/- per call + Rs.1000/- for mobility in Rural FRUs only.	Total incentive paid to On call Anaesth. from Govt. Sector @ Rs.2500/- per call + Rs.1000/- for mobility in Rural FRUs only.	Total incentive paid to On call Gynecologist from private Sector @ Rs.4000/- per call + Rs.1000/- for mobility in Rural FRUs only.	Total incentive paid to On call Anesthetic from private Sector @ Rs.2500/- per call + Rs.1000/- for mobility in Rural FRUs only.

Specialist On Call Budget Proposal for year 2017-18

Sno	District	Proposed No. of FRUs	Govt Specialists	Total Budget for CS @3000.00	Ist release of 06 Month budget (50% of total) to DHS	Private Gyne/Surgeon	Total Budget for CS @6500.00	Ist release of 06 Month budget (50% of total) to DHS	Private Anesth	Total Budget for CS @3000.00	Ist release of 06 Month budget (50% of total) to DHS	Total Budget proosed to be released for on call Specialists in lakh Rs
	FMR		B.30.19.2			B.30.19.3			B.30.19.4			
1	Agra	5	140	420000	210000	70	455000	227500	85	255000	127500	565000
2	Aligarh	6	168	504000	252000	84	546000	273000	102	306000	153000	678000
3	Allahabad	7	196	588000	294000	90	585000	292500	119	357000	178500	765000
4	Ambedkar Nagar	4	112	336000	168000	56	364000	182000	68	204000	102000	452000
5	Amethi	5	140	420000	210000	70	455000	227500	85	255000	127500	565000
6	Amroha	3	84	252000	126000	40	260000	130000	51	153000	76500	332500
7	Auriya	2	56	168000	84000	28	182000	91000	34	102000	51000	226000
8	Azamgarh	6	168	504000	252000	70	455000	227500	102	306000	153000	632500
9	Baghpat	4	112	336000	168000	56	364000	182000	68	204000	102000	452000
10	Bahraich	4	112	336000	168000	56	364000	182000	68	204000	102000	452000
11	Ballia	4	112	336000	168000	56	364000	182000	68	204000	102000	452000
12	Balrampur	4	112	336000	168000	56	364000	182000	68	204000	102000	452000
13	Banda	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
14	Barabanki	6	168	504000	252000	84	546000	273000	102	306000	153000	678000
15	Bareilly	4	112	336000	168000	56	364000	182000	68	204000	102000	452000
16	Basti	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
17	Bijnor	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
18	Budaun	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
19	Bulandshair	5	140	420000	210000	70	455000	227500	85	255000	127500	565000
20	Chandauli	4	112	336000	168000	56	364000	182000	68	204000	102000	452000
21	Chitrakoot	2	56	168000	84000	28	182000	91000	34	102000	51000	226000
22	Deoria	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
23	Etah	2	56	168000	84000	28	182000	91000	34	102000	51000	226000
24	Etawah	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
25	Faizabad	6	168	504000	252000	84	546000	273000	102	306000	153000	678000
26	Farrukhabad	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000

Sno	District	Proposed No. of FRUs	Govt Specialists	Total Budget for CS @3000.00	Ist release of 06 Month budget (50% of total) to DHS	Private Gyne/Surgeon	Total Budget for CS @6500.00	Ist release of 06 Month budget (50% of total) to DHS	Private Anesth	Total Budget for CS @3000.00	Ist release of 06 Month budget (50% of total) to DHS	Total Budget proosed to be released for on call Specialists in lakh Rs
27	Fatehpur	4	100	300000	150000	56	364000	182000	68	204000	102000	434000
28	Firozabad	4	100	300000	150000	56	364000	182000	68	204000	102000	434000
29	GB Nagar	4	100	300000	150000	56	364000	182000	68	204000	102000	434000
30	Ghaziabad	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
31	Ghazipur	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
32	Gonda	2	56	168000	84000	28	182000	91000	34	102000	51000	226000
33	Gorakhpur	5	140	420000	210000	70	455000	227500	100	300000	150000	587500
34	Hamirpur	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
35	Hapur	2	56	168000	84000	28	182000	91000	34	102000	51000	226000
36	Hardoi	4	100	300000	150000	56	364000	182000	68	204000	102000	434000
37	Hathras	4	100	300000	150000	56	364000	182000	68	204000	102000	434000
38	Jalaun	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
39	Jaunpur	4	100	300000	150000	56	364000	182000	68	204000	102000	434000
40	Jhansi	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
41	Kannuj	2	56	168000	84000	28	182000	91000	34	102000	51000	226000
42	Kanpur Dehat	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
43	Kanpur Nagar	11	308	924000	462000	140	910000	455000	187	561000	280500	1197500
44	Kasganj	2	56	168000	84000	28	182000	91000	34	102000	51000	226000
45	Kaushambi	4	112	336000	168000	56	364000	182000	68	204000	102000	452000
46	Kheri	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
47	Kushinagar	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
48	Lalitpur	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
49	Lucknow	24	672	2016000	1008000	300	1950000	975000	408	1224000	612000	2595000
50	Maharajganj	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
51	Mahoba	2	56	168000	84000	28	182000	91000	34	102000	51000	226000
52	Mainpuri	2	56	168000	84000	28	182000	91000	34	102000	51000	226000
53	Mathura	4	112	336000	168000	56	364000	182000	68	204000	102000	452000
54	Mau	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
55	Merrut	4	100	300000	150000	56	364000	182000	68	204000	102000	434000

Sno	District	Proposed No. of FRUs	Govt Specialists	Total Budget for CS @3000.00	Ist release of 06 Month budget (50% of total) to DHS	Private Gyne/Surgeon	Total Budget for CS @6500.00	Ist release of 06 Month budget (50% of total) to DHS	Private Anesth	Total Budget for CS @3000.00	Ist release of 06 Month budget (50% of total) to DHS	Total Budget proosed to be released for on call Specialists in lakh Rs
56	Mirzapur	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
57	Moradabad	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
58	Muzaffer Nager	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
59	Pilibhit	3	80	240000	120000	42	273000	136500	51	153000	76500	333000
60	Pratapgarh	4	100	300000	150000	56	364000	182000	68	204000	102000	434000
61	Raebareli	4	100	300000	150000	56	364000	182000	68	204000	102000	434000
62	Rampur	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
63	Saharanpur	4	112	336000	168000	56	364000	182000	68	204000	102000	452000
64	Sambhal	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
65	Sant Kabir Nagar	4	100	300000	150000	56	364000	182000	68	204000	102000	434000
66	Shajahanpur	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
67	Shamli	1	28	84000	42000	14	91000	45500	17	51000	25500	113000
68	Sidharth Nagar	3	84	252000	126000	42	273000	136500	60	180000	90000	352500
69	Sitapur	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
70	Sonebhadra	4	112	336000	168000	56	364000	182000	80	240000	120000	470000
71	Srawasti	3	84	252000	126000	42	273000	136500	51	153000	76500	339000
72	SRN - Bhadohi	3	84	252000	126000	42	273000	136500	60	180000	90000	352500
73	Sultanpur	4	100	300000	150000	56	364000	182000	68	204000	102000	434000
74	Unnao	4	100	300000	150000	56	364000	182000	68	204000	102000	434000
75	Varanasi	4	112	336000	168000	56	364000	182000	76	228000	114000	464000
GRAND TOTAL		**291**	8000	24000000	12000000	4000	26000000	13000000	5000	15000000	7500000	32500000